उ०प्र० विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2025 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री किरण पाल कश्यप मा० सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सख्या-10 का उत्तरालेख्य

प्रश्न	उत्तर
*10 (क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-फतेहपुर में विद्युत विभाग के कितने सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता विगत तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर नियुक्त है?	फतेहपुर मंडल के अंतर्गत विगत तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर नियुक्त अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता या अवर अभियन्ताओं की संख्या शून्य है।
(ख) उपरोक्त के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?	प्रश्न नहीं उठता।
(ग) जनपद-फतेहपुर के विद्युत उपकेन्द्र सौरा मलवॉं में वर्ष 2024-25 में कितने नये कनेक्शन दिये गये है?	जनपद फतेहपुर के विद्युत उपकेन्द्र सौरा मलवॉं में वर्ष 2024-25 में 598 नए कनेक्शन दिये गये हैं।
(घ) क्या उपरोक्त सन्दर्भ में दिये गये नये कनेक्शन में स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनियमितता बरती गयी है?	जी नहीं।
(ङ) यदि हॉं, तो उपरोक्त दिये गये सभी कनेक्शनों की वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जॉच कराकर संलिप्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कराकर जॉच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे?	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, फतेहपुर के ज्ञाप संख्या-735/वि०वि०मं०फ०/जांचदिनांक 09.06.2025 के द्वाराएक जांच समिति का गठन कराया गया था। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्गत संयोजनों में किसी तरह की अनियमितता नहीं बरती गयी है।(आख्या संलग्न)
(च) यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

ए०के० शर्मा
ऊर्जा मंत्री।

(संलग्नक)

जांच आख्या

लघु उद्यमी एसोसिएशन जनपद फतेहपुर के पदाधिकारियों द्वारा की गयी शिकायत का संदर्भ लेते हुए विद्युत वितरण उपखण्ड, मलवां फतेहपुर के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिक श्री अरविन्द सरोज, अवर अभियन्ता (सैप आई0डी–16001865), 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सौरा, फतेहपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिये गये नये कनेक्शन एवं औद्योगिक क्षेत्र के विद्युत को घरेलू कनेक्शन में अवैध रूप से दिये जाने तथा विभाग को राजस्व की क्षति पहुँचाने के कृत्य एवं उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उलंघन करते हुए विभागीय कार्यो में लापरवाही बरतने संबंधी प्रकरण की जांच हेतु द्वि–सदस्यीय जांच समिति गठित की गयी एवं जांच समिति द्वारा अपनी जांच एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण किये जाने की अपेक्षा की गयी। अधीक्षण अभियन्ता महोदय के निर्देश के अनुपालन में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, फतेहपुर के पत्रांक 273/वि0प0रो0खं0फ0/जांच दिनांक 23.06.2025 के माध्यम से श्री अरविन्द सरोज, अवर अभियन्ता विद्युत वितरण उपखण्ड, मलवां फतेहपुर को आरोपित कथन से संबंधित अपना अभिकथन 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री अरविन्द सरोज, अवर अभियन्ता द्वारा अपना अभिकथन दिनांक 27.06.2025 को जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सौरा, फतेहपुर से वित्तीय वर्ष 2024–25 में उनके द्वारा कुल 598 नग नवीन विद्युत संयोजन निर्गत किये गये है। उक्त सभी संयोजन ऑनलाइन झटपट पोर्टल एवं अन्य ऑनलाइन पोर्टल पर विभागीय नियमानुसार ही निर्गत किये गये है। उनके द्वारा इस अवधि में कोई भी संयोजन औद्योगिक फीडर से औद्योगिक क्षेत्र से बाहर घरेलू उपभोक्ताओं को निर्गत नही किया गया है एवं न ही उनके द्वारा कोई भी संयोजन गलत विधा अथवा नियम विरुद्ध निर्गत किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि लघु उद्यमी एसोसिएशन जनपद फतेहपुर के पदाधिकारियों द्वारा एन0एच0–2 को ओवर हेड कास कर रही सर्विस केबलों को हटाये जाने की मांग की गयी थी तथा औद्योगिक क्षेत्र की सीमा के बाहर औद्योगिक फीडर से घरेलू उपभोक्ताओं को उनके द्वारा विद्युत संयोजन दियें जाने के संबंध में शिकायत की गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि एन0एच0–2 को ओवर हेड कास कर रही सभी सर्विस केबलों को अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, फतेहपुर के अनुमोदन के उपरान्त तत्कालिक एवं अस्थायी समाधान के तहत हटवा दिया गया है तथा स्थाई समाधान हेतु संबंधित प्राक्कलन पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुके हैं। उक्त सभी संयोजन एन0एच0–2 के चौडीकरण से पूर्व से ही निर्गत थे तथा उनके कार्यकाल में उक्त में से कोई भी संयोजन निर्गत नही किया गया है। उनके द्वारा कोई भी विद्युत संयोजन अवैध रूप से निर्गत नही किया गया एवं न ही किसी प्रकार से विभागीय कार्यो में लापरवाही बरती गयी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री अरविन्द सरोज, अवर अभियन्ता द्वारा दिये गये यह अभिकथन का परीक्षण करने के लिये जांच समिति ने 598 संयोजनों के सापेक्ष रैण्डमली चयनित 13 अदद संयोजनों(सूची संलग्न) का निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	संयोजन सं0	संयोजन तिथि	विधा	टिप्पणी
1	श्री भगौती प्रसाद	1014070100	30.08.2016	एल0एम0वी0 2	ग्रामीण क्षेत्र हाइवे के किनारे स्थित
2	श्री गुडडी देवी	0641228000	30.08.2016	एल0एम0वी0 2	ग्रामीण क्षेत्र हाइवे के किनारे स्थित
3	श्री डी0एल0 मिश्रा	0395589000	11.08.2008	एल0एम0वी0 2	ग्रामीण क्षेत्र हाइवे

AO

					के किनारे स्थित
4	श्री दयानन्द	0462739000	11.08.2008	एल0एम0वी0 2	ग्रामीण क्षेत्र हाइवे के किनारे स्थित
5	श्री रामपाल	7919749000	16.04.2008	एल0एम0वी0 2	ग्रामीण क्षेत्र हाइवे के किनारे स्थित
6	श्री बृजरानी	2054113540	25.03.2025	एल0एम0वी0 1	ग्रामीण क्षेत्र में स्थित
7	श्रीमती रानी	2772619172	27.09.2024	एल0एम0वी0 1	ग्रामीण क्षेत्र में स्थित
8	श्री राकेश कुमार	3786296098	11.11.2024	एल0एम0वी0 1	ग्रामीण क्षेत्र में स्थित
9	श्रीमती रूपरानी	4600828241	22.09.2024	एल0एम0वी0 1	ग्रामीण क्षेत्र में स्थित
10	श्री रामचरन	8058474658	24.10.2024	एल0एम0वी0 1	ग्रामीण क्षेत्र में स्थित
11	श्री आलोक सिंह	5196839508	17.11.2024	एल0एम0वी0 2	ग्रामीण क्षेत्र में स्थित
12	श्री रोहित	2125526958	27.02.2025	एल0एम0वी0 2	ग्रामीण क्षेत्र में स्थित
13	श्री रामबहादुर	4992416057	25.02.2025	एल0एम0वी0 2	ग्रामीण क्षेत्र में स्थित

उपरोक्त संयोजनो के निरीक्षण से स्पष्ट है कि श्री अरविन्द सरोज, अवर अभियन्ता द्वारा उनके कार्यकाल में नियमानुसार संयोजन निर्गत किये गये हैं।

श्री अरविन्द सरोज, अवर अभियन्ता द्वारा निर्गत किये गये संयोजनों का परीक्षण करने के उपरान्त जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुचती है की लघु उद्यमी एसोसिएशन जनपद फतेहपुर के पदाधिकारियों द्वारा की गयी शिकायत कि 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सौरा, फतेहपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिये गये नये कनेक्शन एवं औद्योगिक क्षेत्र के विद्युत को घरेलु कनेक्शन में अवैध रूप से दिये जाने तथा विभाग के राजस्व की क्षति पहुंचाने संबंधी शिकायत सही नहीं पायी गयी। तद्नुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही हेतु जांच आख्या प्रस्तुत है।

संलग्नक–यथोपरि।

02.07.2025
संतोष कुमार वर्मा
लेखाधिकारी
वि0वि0मं0–फतेहपुर।

02/07/25
राजेश कुमार गुप्ता
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत परीक्षण खण्ड–फतेहपुर।